न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 111/2023

दायर दिनांक 04.04.2023

निर्णय दिनांक 26.09.2023

उनवान

1. श्री हरिशंकर पिता रामसुख जाति ब्राहम्ण निवासी साकरिया खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजकुमार पिता कल्याणमल ब्राहम्ण(आचार्य) निवासी बडामहुआ तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री ओमप्रकाश पिता कल्याणमल ब्राहम्ण(आचार्य) निवासी बडामहुआ तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री मूलचन्द पिता हंसराज ब्राहम्ण(आचार्य) निवासी बडामहुआ तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्री मांगू पिता कालू गाडरी निवासी साकरियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री किशन पिता होक्मा गाडरी निवासी साकरियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री उदा पिता देबी गुर्जर निवासी साकरियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्री बालू पिता देबी गुर्जर निवासी साकरियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. श्री राधेश्याम पिता देबी गुर्जर निवासी साकरियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्रवण कुमार सैन
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा साकरियाखेडा प0ह0 सिदडियास भू–अभिलेख निरीक्षक्ष क्षैत्र महुआंकला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 332 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 507 रकबा 0.0506 है0, आ0नं0 508 रकबा 0.3794 है0, आ0नं0 509 रकबा 0.6955 है0 किता 03 कुल रकबा 1.1255 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह सीपित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 08 के विरूद्ध दिनांक 8.8.2023 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये अप्रार्थी संख्या 09 आदिनांक को बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थी संख्या 09 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मननफ किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा साकरियाखेडा प0ह0 सिदडियास भू-अभिलेख निरीक्षक्ष क्षैत्र महुआंकला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 332 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 507 रकबा 0.0506 है0, आ0नं0 508 रकबा 0.3794 है0, आ0नं0 509 रकबा 0.6955 है0 किता 03 कुल रकबा 1.1255 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा